

# न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं० 11/2021

तारीख दायर :-11.08.2021

दिनांक निर्णय :-01.09.2021

पटवारी हल्का सुरेर

बनाम

मनसुखी

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का सुरेर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अप्रार्थी का अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्रीमती मनुसुखी पत्नी बाबूलाल मीना का भतीजा श्री राजू द्वारा जवाब नोटिस दिनांक 24.08.2021 को प्रस्तुत किया जिसमें आ०ख०न० 641 रकबा 0.14 किस्म गैर मु० राड़ा सिवायचक वाके ग्राम गोठ से अतिक्रमण हटा लेने का आश्वासन लिखित में प्रस्तुत किया। अप्रार्थी को न्यायहित में सुनवाई एवं अतिक्रमण हटा लेने हेतु अवसर दिया किन्तु मौके पर से अभी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अप्रार्थी की मंशा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है। चूँकी राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2078 में बाढ लगाकर अतिक्रमण किया गया है। आज बावजूद सूचना के अतिक्रमी अनुपस्थित रहा है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:-

अतिक्रमी श्रीमती मनुसुखी पत्नी बाबूलाल मीना निवासी ग्राम गोठ को आराजी ख०न० 641 रकबा 0.14 किस्म गैर मु० राड़ा सिवायचक वाके ग्राम गोठ से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं, तथा सरह लगान 0.28 की 50 गुणा में मु० 14.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावे। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का सुरेर को आदेश दिये जाते हैं कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 01.09.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

रा. ले. सं. 4 वर्ष 2021-22  
के पृष्ठ संख्या 12 पर रा. सं. 14/-  
राशि कायम किये गये।  
जवाकार

  
नायब तहसीलदार  
राजगढ़ जिला अलवर